रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032021-225619 CG-DL-E-03032021-225619

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108] No. 108] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 2021/फाल्गुन 12, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 2021/PHALGUNA 12, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2021

सा.का.िन. 149(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक मापिवज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड (ग), खंड (च), खंड (ज) और खंड (ध) के साथ पिठत धारा-52 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधिक मापिवज्ञान (साधारण) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक मापविज्ञान (साधारण) (संशोधन) नियम, 2021 है।
 - (2) ये नियम, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम, 2011 (जिसे इसमें पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 27 में,-
 - (i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा अर्थात्:-
 - "(1) प्रत्येक बाट या माप जिसे किसी संव्यवहार या जीवित प्राणियों या वस्तुओं के संरक्षण के लिए जिन्हें धारा 2 के खंड (ट) में दिया गया है, प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है, उसे विनिर्माण या आयात करने वाले राज्य या उपनियम (5) के खंड (iv) में यथा विनिर्दिष्ट संस्थापन

1365 GI/2021 (1)

के स्थान के विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा सत्यापित और स्टाम्पित किया जाएगा और उस राज्य के विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा आवधिक अंतरालों पर उसका पुनर्सत्यापन और स्टाम्पन किया जाएगा जिसमें ऐसे बाट या माप का प्रयोग किया जाना है।"

- (ii) उप नियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:
 "परंतु ऐसे बाट और माप, जिनका उपयोग, उद्योगों द्वारा अपने आंतरिक प्रयोग के लिए किया जाता है
 और जो ग्राहक को परिदत्त मात्रा पर प्रभाव न डालते हों या जिन्हें किसी संव्यवहार या संरक्षण के लिए
 प्रयोग नहीं किया जाता है, के लिए ऐसा पुन: सत्यापन अपेक्षित नहीं होगा।"
- (iii) उप नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(5) देश भर में एक समान प्रक्रिया अपनाने के लिए और उन्हीं बाटों तथा मापों के दोबारा स्टाम्पित किए जाने से बचने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे गए बाटों और मापों के पहली बार सत्यापन और स्टाम्पित किए जाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा, अर्थातु:-
- सभी प्रकार के बाट और माप तथा तोलने और मापने के ऐसे उपस्कर, जिनका प्रयोग किए जाने के स्थान पर संस्थापन या अंशांकन किया जाना आवश्यक नहीं है, का सत्यापन, विनिर्माण या आयात करने वाले राज्य में किया जाएगा;
- (ii) घरेलू उपयोग से संबंधित सभी प्रकार के बाटों और मापों का सत्यापन, विनिर्माण या आयात करने वाले राज्य में किया जाएगा;
- (iii) 50 किलोग्राम तक की क्षमता वाले, सभी अस्वचालित तोलन उपकरणों का सत्यापन, विनिर्माण या आयात करने वाले राज्य में किया जाएगा, यदि इसे खोला नहीं गया हो या इनके प्रयोग किए जाने से पूर्व अंशांकन अपेक्षित न हो;
- (iv) सभी अन्य बाट और माप तथा ऐसे तोलने और मापने वाले उपस्कर, जिनका प्रयोग किए जाने वाले स्थान पर संस्थापित या अंशांकन किया जाना अपेक्षित हो, को संस्थापित किए जाने वाले स्थान पर सत्यापित और स्टाम्पित किया जाएगा।"
- 3. उक्त नियमों की छठी अनुसूची में,-
 - (i) भाग VI कपड़ा या प्लास्टिक फीता माप पैरा 3 में "5 मी या मीटर के गुणज", अंकों, अक्षरों या शब्दों के स्थान पर "5 मी, 7.5 मी, 10 मी या मीटर के गुणज" अंक, अक्षर या शब्द रखे जाएंगे।"
 - (ii) भाग VII इस्पात का फीता माप, पैरा 3 में "5 मी, 7.5 मी, 10 मी या मीटर के गुणज" अंकों, अक्षरों या शब्दों के स्थान पर "5 मी, 7.5 मी, 10 मी या मीटर के गुणज" अंक, अक्षर या शब्द रखे जाएंगे।"
- 4. उक्त नियमों में, सातवीं अनुसूची में, शीर्षक-ग के अधीन, भाग- II में, पैरा 2 के उप-पैरा (2) की, मद (i) में, उप-मद (क) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. I-9/41/2020-डब्ल्यू एंड एम] अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 71 (अ) तारीख 7 फरवरी 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 875 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2021

G.S.R. 149(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (c), (f), (h), (i) and (s) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act 2009, (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (General) Rules, 2011, namely: -

- 1. (1) These rules may be called the Legal Metrology (General) (Amendment) Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Legal Metrology (General) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 27, -
- (i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(1) Every weight or measure used or intended to be used in any transaction or for protection of living beings or things in clause (k) of section 2 shall be verified and stamped by the legal metrology officer of the State of manufacture or import or at the place of installation as specified in clause (iv) of sub-rule (5) and be re-verified and stamped at periodical intervals by the legal metrology officer in the State in which such weight or measure is put to use.";
- (ii) in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-
 - "Provided that such weights or measures which are used by the industries for their internal use and which do not affect the quantity delivered to the consumers or are not used in any transaction or for protection, shall not require such re-verification.",
- (iii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
 - "(5) For adopting a uniform procedure throughout the country and to avoid double stamping of the same weights and measures, the first time verification and stamping of weights and measures, sent from one State to another State, shall follow the following procedure, namely:-
 - (i) all types of weights and measures and such weighing and measuring instruments which are not required to be installed or calibrated at the place of use shall be verified in the State of manufacture or import;
 - (ii) all types of weights and measures meant for domestic use shall be verified in the State of manufacture or import;
 - (iii) all non-automatic weighing instruments, upto maximum capacity of 50 kg shall be verified in the State of manufacture or import, if it is not dismantled or do not require calibration before putting into use;
 - (iv) all other weights and measures and such weighing and measuring instruments which are required to be installed or calibrated at the place of use shall be verified and stamped at the place of installation.".
- 3. In the said rules, in the SIXTH SCHEDULE,-
 - (i) in Part VI- FABRIC OR PLASTIC TAPE MEASURE, in paragraph 3, for the figure, letter and words "5 m or multiples of", the figures, letters and words "5 m, 7.5 m, 10 m or multiples of" shall be substituted.
 - (ii) in Part VII- STEEL TAPE MEASURE, in paragraph 3, for the figure, letters and words "5 m or multiples of", the figures, letters and words "5 m, 7.5 m, 10 m or multiples of" shall be substituted.
- 4. In the said rules, in the SEVENTH SCHEDULE, under HEADING-C, in Part-II, in paragraph 2, in sub-paragraph (2), in item (i), sub-item (a) shall be omitted.

[F. No. I-9/41/2020-W&M]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 71 (E), dated the 7th February, 2011 and was last amended vide notification number G.S.R. 875 (E), dated 9th September, 2016.